



समस्त

अपर आयुक्त ग्रेड - 1,

अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0),

संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) / उपायुक्त (वि0अनु0शा0),

सहायक आयुक्त (वि0अनु0शा0) / राज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0)

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: व्यापार स्थल की जांच के दौरान प्रवर्तन अधिकारियों / कर्मचारियों के संयमित आचरण एवं व्यवहार के संबंध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा - 67 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कार्यरत प्रवर्तन इकाइयों द्वारा व्यापार स्थल की जांच के दौरान व्यापारियों का उत्पीड़न न होने पाये के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश / परिपत्र जारी किए गये हैं। मुख्यतः परिपत्र संख्या - 1718033 दिनांक: 31-08-2017 द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनका अनुपालन अपरिहार्य है।

मुख्यालय स्तर पर विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि प्रवर्तन इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा व्यापार स्थल के निरीक्षण / तलाशी के दौरान व्यापारियों के साथ अपने कार्य एवं व्यवहार तथा आचरण को संयमित नहीं रखा जाता है। अधिकारियों द्वारा कतिपय मामलों में अधैर्य का परिचय दिया जाता है जो विभागीय गरिमा के अनुकूल नहीं है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

अतः उक्तानुसार संज्ञानित प्रतिकूल तथ्यों के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान प्रत्येक दशा में बॉडीवॉर्न कैमरों का उपयोग सुनिश्चित किया जाये तथा व्यापारियों के साथ अपने कार्य एवं व्यवहार तथा आचरण को संयमित रखते हुए विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि व्यापार स्थल पर जांच के नाम पर किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न हो। यदि जांच में किसी व्यापारी के उत्पीड़न तथा अधिकारी / कर्मचारी के असंयमित आचरण की शिकायत सही पाई जाती है तो संबन्धित प्रवर्तन इकाई के अधिकारियों एवं उनके नियंत्रक अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(मिनिस्ती एस0)

आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश